केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/209

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00180
CICOM/R/2018/00603

दिनांक: 10.08.2018

अपीलकर्ता : श्री सुधीर जरोली, पुत्र – श्री शांतिलाल जरोली,
12, न्यू अशोक विहार, रोड नं. 4,
संत ग्रेगोरियस स्कूल के पास, उदयपुर,
राजस्थान – 313001.

निर्णय की तारीख : 10.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	362/01.08.2018 (147604/31.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के Annual Convention श्री श्यामसिंह सालवी एवं श्री निखिल डे को आमंत्रित किए जाने से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 13.06.2018 को एवं आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 14.06.2018 को प्राप्त हुआ, जिसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2018 को ही आर.टी.आई.-एम.आई.एस. द्वारा श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया गया । श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा5 (4) के तहत श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्र0) से सहायता ली गई तथा दिनांक 22.06.2018 को अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की गई । अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत प्रदान की गई सहायता से श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

10/08/18

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 AUG 2018
D. No.........
Initials.........